उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 231वीं बैठक
दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 231वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :—

1—	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2—	डॉ0 सुरभि शुक्ला	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3—	श्री शहाबुद्दीन मोहम्मद	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4—	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
5—	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
6—	श्री आर.एन. मिश्र	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
7—	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक,प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य
8—	श्री एस.एस.चौहान	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
9—	श्री बीकेएल श्रीवास्तव	विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
10—	सुश्री सीमा सिंह	अपर सचिव,उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ	आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :—

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
231/1	परिषद की 230 वीं बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 230वीं बैठक दिनांक 26.09.14 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
231/2	परिषद की 230 वीं बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 2014 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 230वीं बैठक दिनांक—26.09.14 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

231/3	फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों पर लेवी (अनिर्माण शुल्क) वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
231/4	परिषद की जिगर विहार योजना मुरादाबाद स्थित भवन संख्या—जी0ए0 —77 (स्टाफ भवन) के संबंध में।	प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। आवास विकास परिषद के नियमों के अन्तर्गत आवंटन की व्यवस्था नही है। सुसंगत नियमों का पालन करते हुए नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सम्पत्ति का निस्तारण नियमानुसार किया जाये।
231/5	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 15/कॉम—2, 16/कॉम—1 तथा संस्थागत भूखण्ड संख्या—2बी/आई0एन0एस0—4 के संबंध में।	प्रश्नगत प्रस्ताव के संबंध में परिषद की 228वीं बैठक में प्रश्नगत सम्पत्तियों के भू—उपयोग परिवर्तन इस शर्त के साथ अनुमन्य किये गये थे कि दिनांक—31.12.14 तक समस्त धनराशि जमा

		कराकर पंजीयन करा लिये जायें। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवंटियों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में अवशेष धनराशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गयी है। प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध के कम में सम्यक विचारोपरान्त निम्न शर्तों के साथ दिनांक–31.12.15 तक का समय प्रदान किया गया:– 1. उक्त व्यवसायिक भूखण्डो के मानचित्र जमा किये जाने की दशा में मूल आवंटन में देय एफ.ए.आर. तक ही मानचित्र (ग्रुप हाऊसिंग) सशर्त निर्माण की अनुमति निर्गत की जायें। 2. मूल आवंटन के बेसिक एफ.ए.आर. के अतिरिक्त एफ.ए.आर. की अनुमति पूर्ण भुगतान तथा एफ.ए.आर. शुल्क की धनराशि परिषद में जमा किये जाने की दशा में ही अनुवर्ती तलों पर निर्माण की अनुमति प्रदान की जाये।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

231/6	उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में शासन द्वारा किये गये संशोधन को परिषद द्वारा संचालित योजनाओं हेतु अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त, उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अंगीकार करने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गयी, किन्तु प्रस्ताव का परीक्षण हेतु निम्न समिति गठित की गयी : 1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव : अध्यक्ष 2. प्रतिनिधि, सीटीसीपी : सदस्य 3. वास्तुविद नियोजक, ईकाई–5 : सदस्य 4. मुख्य विधि परामर्शी : सदस्य उक्त समिति प्रस्ताव का परीक्षण कर आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी तथा आवास आयुक्त संस्तुति सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगे।
231/7	परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना, लखनऊ में सिटी माण्टेसरी स्कूल को आवंटित भूखण्ड के एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु निम्न समिति गठित की गयी : 1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव : अध्यक्ष 2. संयुक्त आवास आयुक्त,लख.जो. : सदस्य 3. वास्तुविद नियोजक ईकाई–5 : सदस्य समिति की संस्तुति आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

231/8	ट्रांस यमुना फेज–2, आगरा के सेक्टर–एफ0 में स्थित आवासीय भवन सं0 एफ0–3 को नर्सिंग होम में अनुमन्य करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जन–सामान्य से आपत्तियां/सुझाव प्राप्त कर आगामी बैठक में रखा जाये।
231/9	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य शहरी पर्यावास नीति 2014 के अनुपालन में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में कतिपय संशोधनों/परिष्कारों एवं दिशा निर्देशों संबंधी विभिन्न शासनादेशों को परिषद की योजनाओं में क्रियान्वयन/लागू किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव शासनादेश परिषद में अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

वित्त/लेखा अनुभाग

231/10	परिषद के वित्तीय वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी अगले वर्ष 2015 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 50वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है। आवास विकास परिषद राज्य सरकार की एक सम्मानित संस्था है, जिसको पूर्ण रूप से विकसित किया जाना आवश्यक है। अतः यह सुझाव दिया गया कि प्रोफेशनल कंसलटेंट के माध्यम से परिषद की आय में वृद्धि, इसके प्रबन्धन के विकास तथा कार्य के विस्तार आदि को सम्मिलित करते हुए एक रेवन्यू मॉडल प्रस्तुत किया जाये। परिषद इस दिशा में कार्यवाही करके प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
231/11	मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या–6307/2010, स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम प्रीतम सिंह व अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 23.09.2014 के अनुपालन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पेंशन की कार्यवाही परिषद अपने स्तर से तत्काल प्रारम्भ कर दे जिससे मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना से बचा जा सकें।

अनुशासनिक/गोपन अनुभाग

231/12	श्री एस0एल0 वर्मा, अवर अभियन्ता को जॉच के अन्तर्गत दण्ड के रूप में दिये गये "भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि" एवं "एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकने" के दण्डों को समाप्त करने हेतु प्रस्तुत अपील पर विचार किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त "भर्त्सनात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि" एवं "एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकने" के दण्डों को समाप्त कर 'चेतावनी' में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया।

232/13	श्री आर0के0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता की वर्ष 2002–03, 2005–06 एवं 2010–11 की शासनादेश दिनांक 01.02.2013 के अनुपालन में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की उच्चीकृत की गयी "श्रेणी" को शासनादेश दिनांक 29.01.2014 के परिप्रेक्ष्य में निष्प्रभावी हो जाने अथवा सेवा संबंधी मामलों में संज्ञान में लिए जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2012–13 के पूर्व की प्रविष्टियों का उच्चीकरण आदेश, शासनादेश दिनांक 29.01.14 के क्रम में समाप्त करते हुए पूर्ववत रखने का निर्णय लिया गया, साथ यह भी निर्णय लिया गया कि शासनादेश का उक्त प्रभाव समस्त कार्मिकों पर समान भाव से क्रियान्वित हो।

एम0डी0सी0

231/14	वर्ष–2015 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगाँठ को गोल्डेन जुबली वर्ष समारोह के रूप में आयोजित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद की स्वर्ण जयन्ती समारोह में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार को अधिक उपादेयी बनाया जाय।

भूमि अर्जन अनुभाग

231/15	मा0 परिषद की 188वीं बैठक दिनांक 12.03.2004 के मद संख्या–188/1–51 व मा0 परिषद की 228वीं बैठक दिनांक 18.06.2014 के मद संख्या–228/21 पर लिये गये निर्णयों को निरस्त कराये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त 20 प्रतिशत के आधार पर समायोजित करने का निर्णय वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया।
231/16	लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद के अन्तर्गत शासनादेश संख्या– 4128/ 9–आ–3–2002–20 एल0ए0/92 (आ0ब0) दिनांक 22.10.02 की शर्त को पूर्ण न करने वाली 04 सहकारी आवास समितियों की भूमि समायोजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि समितियों के अभिलेखों का पुनः परीक्षण कर, स्पष्ट प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
231/17	परिषद की दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (सिद्धार्थ विहार) गाजियाबाद के अन्तर्गत राधा स्वामी पार्क प्लाट होल्डर्स सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 गाजियाबाद की भूमि को योजना में समायोजित करने विषयक परिषद की 229वीं बैठक दिनांक 28.07.14 में लिए गये निर्णय को निरस्त किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये गये।
231/18	परिषद की अवध विहार योजना लखनऊ में बैनामें के माध्यम से सीधे भूस्वामियों से भूमि क्रय किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, साथ ही भूमि की दर के सम्बंध में आवास आयुक्त इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुमोदन प्रदान करेंगे।

231/19	प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं गम्भीर आवासीय समस्या के निराकरण के लिये तात्कालिक रूप में आवश्यक भूमि को नैगोसिएशन (विमर्श/वार्ता) के आधार पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बैनामें द्वारा क्रय किये जाने के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गयी तथा नवीन भू–अधिग्रहण अधिनियम का अध्ययन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि नवीन भू–अधिग्रहण अधिनियम के साथ सामंजस्य बना रहें। यह भी निर्देश दिये गये कि किसानों की योजना में सहभागिता से सम्बधित "लैण्ड–पूलिंग" का प्रस्ताव आवश्यक रूप से तैयार कर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
231/20	सुल्तानपुर रोड योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा सख्या 1627मि0 क्षेत्रफल 253.343 वर्गमीटर भूमि को अर्जनमुक्त करने के संबंध में।	प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। पूर्व में इस प्रकार के 02 प्रकरणों में अर्जन मुक्त करने का निर्णय लिया जा चुका है।अतः इस प्रकरण में भी भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
231/21	परिषद की सुल्तानपुर रोड योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–अहमामऊ खसरा संख्या–1143स की भूमि में से 1.264 हेक्टेयर को वर्तमान दर का विकास शुल्क लेकर समायोजित करने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुमोदन योग्य नही पाया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

231/22	गाजियाबाद नगर में मेट्रो रेल परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दिलशाद गार्डेन, नई दिल्ली से नया बस अड्डा, गाजियाबाद कारीडोर (लम्बाई 9.71 कि0मी0 07 स्टेशन) के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित अंश के भुगतान के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पत्र भेजकर यह जानकारी करें कि इस परियोजना से परिषद की किस योजना को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा।

पंजीकरण अनुभाग

231/23	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में मा0 न्यायमूर्ति, श्री राजीव शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या–16ए/2037 क्षेत्रफल 179. 80 वर्गमीटर के संबंध मे।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।

लखनऊ–जोन

231/24	परिषद की वृन्दावन योजना स्थित भवन संख्या–11ए/174 को भवन संख्या 2सी/131 में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव नियमो के विरूद्ध होने के कारण परिवर्तन किये जाने का औचित्य नही पाया गया।

विधि अनुभाग

231/25	मा0 उच्चतम न्यायालय के परिषद अधिवक्तागण को देय फीस के पुर्ननिर्धारण के संबंध मे।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त एक समिति बनाकर परीक्षण करा लिया जाय तथा संस्तुति को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्रशासन अनुभाग

231/26	वर्ष 2013–14 की अनुग्रह धनराशि (एक्सग्रेसिया) के भुगतान के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
231/27	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सहायक अभियन्ता सेवा विनियमावली–1973 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पदोन्नति हेतु बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 डिग्रीधारक अवर अभियन्ताओं हेतु निर्धारित कोटे को समाप्त किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासन को पत्र भेजकर पूर्व प्रेषित संदर्भ को संज्ञान में न लिये जाने का अनुरोध किया जाय तथा परिषद सेवाविनियम में समाहित करते हुए, तदनुसार कार्यवाही की जायें।
231/28	सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया कि सेवाविनियम में यथा आवश्यक संशोधन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
231/29	श्री हिमांशु द्विवेदी पुत्र स्व0 आनन्द कुमार द्विवेदी, आई0ए0एस0 को दिनांक 28.02.2015 तक अस्थायी रूप से सृजित विशेष कार्याधिकारी के एक निःसंवर्गीय पद वेतन बैण्ड–2, वेतनमान रु0 9300–34800, ग्रेड पे रु0 4200.00 के सापेक्ष मृतक आश्रित के रूप में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ में की गयी नियुक्ति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
231/30	कार्यालय आदेश–1348/प्रशा–एक–93/2013 दिनांक 04.7.2014 एवं आदेश 2098/प्रशा0–एक–93/2013 (भाग–2) दिनांक 28.8.2014 द्वारा लागू लिपिकीय संवर्ग के ढाचे के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु निम्न समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया : 1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव : अध्यक्ष 2. वित्त नियंत्रक : सदस्य 3. संयुक्त निदेशक, सार्व.उ.ब्यूरो : सदस्य 4. संयुक्त आ.आ.(प्रशा) : सदस्य प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति अपनी संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।
231/31	मा0 परिषद की 228वीं बैठक के अनुपालन में दैनिक वेतन/मस्टररोल वाहन चालकों के विनियमितीकरण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह परीक्षण कराने के निर्देश दिये गये कि वर्ष 1991 के बाद विभिन्न पदों पर इस प्रकार के कितने कार्मिक कार्यरत है, उन्हें विनियमित किये जाने हेतु परिषद विनियमितीकरण की विनियमावली का आलेख आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

231/32	परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रथम प्रोन्नत वेतनमान रु0 1900.00 के स्थान पर ग्रेड वेतन रु0 2000.00 एवं द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान रु0 2400.00 के स्थान पर ग्रेड वेतन रु0 2800.00 प्रदान किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के परीक्षण हेतु निम्न समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया : 1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव : अध्यक्ष 2. वित्त नियंत्रक : सदस्य 3. संयुक्त निदेशक, सार्व.उ.ब्यूरो : सदस्य 4. संयुक्त आ.आ.(प्रशा) : सदस्य प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति अपनी संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

सम्पत्ति अनुभाग

231/33	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0–14/कॉम–1 व 13/एस–2 के संबंध में।	प्रश्नगत प्रस्ताव के संबंध में परिषद की 228वीं बैठक में प्रश्नगत सम्पत्तियों के भू–उपयोग परिवर्तन इस शर्त के साथ अनुमन्य किये गये थे कि दिनांक –31.12.14 तक समस्त धनराशि जमा कराकर पंजीयन करा लिये जायें। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवंटियों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में अवशेष धनराशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गयी है। जबकि मूल आवंटन में (व्यावसायिक प्रयोग हेतु) 30.04.19 तक का समय निर्धारित है। प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध के क्रम में इस प्रकरण में 30 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के बाद निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार किया गया:– 1. उक्त व्यवसायिक भूखण्डो के मानचित्र जमा किये जाने की दशा में मूल आवंटन में देय एफ.ए.आर. तक ही मानचित्र (ग्रुप हाऊसिंग) सशर्त निर्माण की अनुमति निर्गत की जायें। 2. मूल आवंटन के बेसिक एफ.ए.आर. के अतिरिक्त एफ.ए.आर. की अनुमति पूर्ण भुगतान तथा एफ.ए.आर. शुल्क की धनराशि परिषद में जमा किये जाने की दशा में ही अनुवर्ती तलों पर निर्माण की अनुमति प्रदान की जाये।
231/34	जागृति विहार योजना सं0–6, मेरठ स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जी0एच0–1 के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
231/35	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में स्थित बल्क सेल भूखण्ड संख्या–4/बी0एस0–2 के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

231/36	लखनऊ मैट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद द्वारा रु0 200.00 करोड़ की धनराशि इक्विटी के स्थान अनुदान के रूप में परिषद फण्ड से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पत्र भेजकर यह जानकारी करें कि इस परियोजना से परिषद की किस योजना को लाभ प्राप्त होगा।
231/37	अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में 220/33 केवी सब स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0 पावर ट्रान्समीशन कारपोरेशन लि0 लखनऊ को भुगतान करने के लिए रू0 85.81 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त रू0 85.81 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
231/38	परिषद में 'ई–टेण्डरिंग' व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

लेखा अनुभाग

231/39	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या–6307/2010, स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम प्रीतम सिंह व अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 23.09.2014 के अनुपालन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

231/40	परिषद की अवध विहार योजना लखनऊ में बैनामें के माध्यम से सीधे भूस्वामियों से भूमि क्रय किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
231/41	परिषद की दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–5 (जिगर विहार) मुरादाबाद के अन्तर्गत खसरा संख्या 368 की 3.54 एकड़ भूमि के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही आवेदक को शासन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित भी किया जाय।

अनुरक्षण अनुभाग

231/42	परिषद परिसर में स्थित पुराने भवन निष्प्रयोज्य होने फलस्वरूप उसके स्थान पर नया कार्यालय भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि आकर्षक एवं उपयोगी परिकल्पना तथा कार्ययोजना आदि परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

231/43	परिषद की आवासीय, अनावासीय सम्पत्तियों एवं ग्रुप हाऊसिंग/ बल्क सेल भूखण्डों में अन्तरण की प्रकिया एवं निर्णय का सक्षम स्तर सम्बंधी नीति।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
231/44	भरतपुरी योजना गोण्डा स्थित आवासीय भूखण्ड सं0 पी–915, पी–916 एवं पी–917 के विरूद्ध आरोपित अनिर्माण शुल्क माफी के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

231/45	श्री मथुरा प्रसाद वैश्य, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जिनकी सेवाएं परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर दिनांक 31.12.2014 तक के लिए स्वीकृत है, को दिनांक 30.06.2015 तक के बढ़ाए जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

समन्वय अनुभाग

231/46	वसुंधरा योजना, गाजियाबाद स्थित स्टाफ भवन सं0 16/69 को स्टाफ भवन अनारक्षित कर निजी तौर पर आवंटन किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

पंजीकरण अनुभाग

231/47	मेरठ नगर में मेरठ गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर संचालित जागृति विहार(विस्तार) योजना सं0–11 मेरठ में बहुमंजिले भवनो का पंजीकरण खोले जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि समाजवादी आवास योजना के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त इसका विस्तृत परीक्षण करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
231/48	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित

11/12/14

(सदाकान्त)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष